

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 130/2025 बउनवानी तुलसी देवी जांगिड बनाम उपजिला कलेक्टर बौली
पत्नि हरिमोहन जांगिड ग्राम व पोस्ट मलारना डूंगर
GCMS No-2025/ 290

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
8.10.2025	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 3.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर “ <u>जिला कलेक्टर कार्यालय के पत्रांक प.17(7)(22)/रा.म.अ./न्याय/2025/296 दिनांक 17.3.2025 एवं महिला आयोग जयपुर के पत्रांक प.6(549/2025)रामआ/2018/5966 दिनांक 4.3.2025 पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना।</u> ” उपजिला कलेक्टर बौली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: भू.अ./2025/3120 दिनांक 6.10.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर बौली के पत्रांक 2031 दिनांक 29.8.2025 एवं पत्रांक 3106 दिनांक 1.10.2025 द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि नामा0 संख्या 863 दिनांक 6.7.20207 में अपीलान्ट को नाम तुलसा पुत्री कैलाश की जगह शुद्ध नाम तुलसी देवी पुत्री कैलाशचन्द जांगिड करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन पेश कर शुद्ध करवा सकते है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 3.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना के संबंध में उपजिला कलेक्टर बौली द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p>	

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर